

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल।

पत्राक 373/7-पं0/पदों का आवंटन/अनन्तिम प्रकाशन/2025-26 दिनांक 13 जून 2025

समस्त

खण्ड विकास अधिकारी,

जनपद नैनीताल।

विषय :-

सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत, सदस्य जिला पंचायत एवं प्रमुख क्षेत्र पंचायतों के स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन का अनन्तिम प्रकाशन करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक सचिव उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पंचायती राज अनुभाग-1 के पत्र संख्या 819/XII(1)/2025/86(11)2008 दिनांक 10 जून 2025 द्वारा जनपद नैनीताल के प्रमुख क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्यो, जिला पंचायत सदस्यो, प्रधान ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायत सदस्यो के आरक्षण हेतु दिशा निर्देश प्रसारित किये गये है। उक्त आदेशो के क्रम में उपरोक्त पदों में आरक्षण संबंधी सूचना का अनन्तिम प्रकाशन किया जाता है।

अनन्तिम प्रकाशन पर आपत्तियाँ दिनांक 14-06-2025 से दिनांक 15-06-2025 तक प्राप्त कर अनिवार्य रूप से दिनांक 15-06-2025 की सांय 05:00 बजे तक, जिला पंचायतराज अधिकारी नैनीताल कार्यालय स्थित विकास भवन भीमताल में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उक्तानुसार।

9

(वन्दना)

जिला मजिस्ट्रेट,
नैनीताल।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक पंचायती राज उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल।
- 3- समस्त उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार जनपद नैनीताल को कार्यालय के सूचना पट में प्रकाशन हेतु।
- 4- अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत नैनीताल को कार्यालय के सूचना पट में प्रकाशन हेतु।
- 5- जिला पंचायतराज अधिकारी नैनीताल को कार्यालय के सूचना पट में प्रकाशन हेतु।
- 6- जिला सूचना अधिकारी, नैनीताल।
- 7- समस्त सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) जनपद नैनीताल को संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रकाशन हेतु।

जिला मजिस्ट्रेट,
नैनीताल।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल।

पत्राक 373/7-पं0/पदों का आवंटन/अनन्तिम प्रकाशन/2025-26 दिनांक 13 जून 2025
समस्त

खण्ड विकास अधिकारी,

जनपद नैनीताल।

विषय :- सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत, सदस्य जिला पंचायत एवं प्रमुख क्षेत्र पंचायतों के स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन का अनन्तिम प्रकाशन करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक सचिव उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पंचायती राज अनुभाग-1 के पत्र संख्या 819/XII(1)/2025/86(11)2008 दिनांक 10 जून 2025 द्वारा जनपद नैनीताल के प्रमुख क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों, प्रधान ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायत सदस्यों के आरक्षण हेतु दिशा निर्देश प्रसारित किये गये हैं। उक्त आदेशों के कम में उपरोक्त पदों में आरक्षण संबंधी सूचना का अनन्तिम प्रकाशन किया जाता है।

अनन्तिम प्रकाशन पर आपत्तियाँ दिनांक 14-06-2025 से दिनांक 15-06-2025 तक प्राप्त कर अनिवार्य रूप से दिनांक 15-06-2025 की सांय 05:00 बजे तक, जिला पंचायतराज अधिकारी नैनीताल कार्यालय स्थित विकास भवन भीमताल में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उक्तानुसार।

(वन्दना)

जिला मजिस्ट्रेट,
नैनीताल।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक पंचायती राज उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल।
- 3- समस्त उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार जनपद नैनीताल को कार्यालय के सूचना पट में प्रकाशन हेतु।
- 4- अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत नैनीताल को कार्यालय के सूचना पट में प्रकाशन हेतु।
- 5- जिला पंचायतराज अधिकारी नैनीताल को कार्यालय के सूचना पट में प्रकाशन हेतु।
- 6- जिला सूचना अधिकारी, नैनीताल।
- 7- समस्त सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) जनपद नैनीताल को संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रकाशन हेतु।

जिला मजिस्ट्रेट,
नैनीताल।

Alani

सूचना

अनन्तिम प्रकाशन

उत्तराखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2016 व तदकम में उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम की धारा 55 क के साथ उत्तराखण्ड ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली - 2025 के अन्तर्गत जिला नैनीताल की निम्नलिखित क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख पदों को उनके सम्मुख अंकित श्रेणी के लिये आरक्षित किया जाता है।

क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	पद	आरक्षण श्रेणी
1	2	3	4
1	धारी	क्षेत्र पंचायत प्रमुख	अनु0जा0महिला
2	रामगढ़	क्षेत्र पंचायत प्रमुख	अनु0जा0
3	हल्द्वानी	क्षेत्र पंचायत प्रमुख	अन्य महिला
4	कोटाबाग	क्षेत्र पंचायत प्रमुख	अन्य महिला
5	रामनगर	क्षेत्र पंचायत प्रमुख	अन्य महिला
6	ओखलकाण्डा	क्षेत्र पंचायत प्रमुख	अनारक्षित
7	भीमताल	क्षेत्र पंचायत प्रमुख	अनारक्षित
8	बेतालघाट	क्षेत्र पंचायत प्रमुख	अनारक्षित

दिनांक 13.06.2025

जिला मजिस्ट्रेट
नैनीताल।